हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013

[कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुगृहपूर्वक) प्रदान करना]

(योजना)

योग्यता

किसान/श्रमिक जो कृषि कार्यो के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया हो तथा इस संबंध में राज्य /केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो।

प्रदान किए गए लाभ

विवरण :- कृषि कार्यो के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले किसानों/मजदूरों को वितीय सहायता प्रदान करने के उद्येश्य से वर्ष 2013 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया । विभिन्न परिस्थितियों में वित्तीय सहायता की सीमा इस प्रकार है :–

क्र0 न0	विवरण	राशि
1	मृत्यु	रु 5,00,000/–
2	स्थायी विगलांगता, रीढ़ की हडडी के टूटने या अन्य	रु 2,50,000/–
3	दो अंगो का विच्छेदन /स्थायी गम्भीर चोट	रु 1,87,500/–
4	स्थायी गम्भीर चोट/एक अंग का विच्छेदन (चार अंगुलियों के विच्छेदन को एक अंग का नुकसान माना जाएगा)	रु 1,25,000/–
5	पूरी अंगुली का विच्छेदन	रु 75,000/–
6	अंगुली का आंशिक विच्छेदन	रु 37,500/–

आवश्यक कागजात :

- **कृषि कार्यो के दौरान चोट लगने के मामले में जहां दुर्घटना के दो महीने के भीतर /बाद में आवेदन जमा किया गया हो :–**
  1. परिवार पहचान पत्र
  2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड , ड्राईविंग लाईसैंस , पासपोर्ट, वोटर कार्ड (इनमे से कोई भी एक)
  3. विधिवत हस्ताक्षरित पीडित से अनुरोध पत्र ।
  4. घायल अंग के साथ आवेदक की तस्वीर ।
  5. दावे के समर्थन में हल्फनामा /वचनबद्वता ।
  6. श्रमिक/मजदूर के मामले मे भूमि / मशीनरी के मालिक द्वारा दावे के समर्थन में हल्फनामा ।
  7. ओ पी डी की फोटो कापी।
  8. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र ।

- **कृषि कार्यो के दौरान मृत्यु जंहा एफएसएल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ।**
  1. परिवार पहचान पत्र
  2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड , पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड (इनमें से कोई एक)
  3. दावेदार /पीडित के परिवार के सदस्य से विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र
  4. पीडिता की फोटो ।
  5. दावे के समर्थन मे दावेदार का हल्फनामा /बचनबद्वता ।
  6. भूमि/मशीनरी के मालिक द्वारा दावे के समर्थन में हल्फनामा ।
  7. एफ.आई.आर/डी.डी.आर. की कापी ।
  8. मृत्यु के कारण के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एफएसएल/विसरा रिपोर्ट)

सेवा के लिए शुल्क

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई फीस नही	30/–रू0 प्रति आवेदन	30/–रू0 प्रति आवेदन

आर. टी. एस. समय सीमा : 60 दिन